



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II— Section 3—Sub-section(i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932

No. 257]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(Department of Information Technology)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

New Delhi, the 17th May, 2010

सा.का.नि. 410(अ).-- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(2000 का 21) की धारा 67 तथा धारा 88 के उपबंधों का प्रयोग

करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के संचार और

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की निम्नलिखित

अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, सिवाय ऐसी बातों के जो ऐसे

विखंडन से पहले की जाएं या जिसका करने से लोप किया जाए,

अर्थात्:-

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में दिनांक 27 फरवरी, 2003 को प्रकाशित सा.का.नि. 181(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2003; तथा
- (ii) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 7 जुलाई 2003 को प्रकाशित सा.का.नि. 529(अ) दिनांक 7 जुलाई, 2003।

[फा. सं. 1 (1)/2010-सीएलएफ एण्ड ई]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

G.S.R. 410(E). — In exercise of the provisions of Section 67 and Section 88 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Communications and Technology (Department of Information Technology), except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:—

- (i) G.S.R. 181(E) dated the 27th February, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th February 2003; and
- (ii) G.S.R. 529(E) dated the 7th July, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th July, 2003.

[F.No. 1(1)/2010-CLF&E]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.